

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
धन कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जून, 2014

का0आ0 1576.(अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 14क और धारा 14ख के साथ पठित, धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (खक) और खंड (खख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन कर नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. धन कर नियम, 1957 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) में,--

(i) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. शुद्ध धन की विवरणी का प्ररूप- (1) धारा 14 में निर्दिष्ट शुद्ध धन की विवरणी-

(क) व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुंबों और कंपनियों की दशा में, निर्धारण वर्ष 2013-14 और पूर्वतर निर्धारण वर्षों की बाबत प्ररूप खक में होगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी ।

(ख) व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुंबों और कंपनियों की दशा में, निर्धारण वर्ष 2014-15 और किसी अन्य पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत प्ररूप खख में होगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी ।

(2) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण वर्ष 2014-15 और उसके पश्चात् किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट धन कर की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में दी जाएगी ।

(3) ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसे आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उपनियम (1) में निर्दिष्ट धन कर की विवरणी निर्धारण वर्ष

2014-15 के लिए पत्र प्ररूप में दी जा सकेगी ।

(4) प्ररूप खख में दिए जाने के लिए अपेक्षित धन कर की विवरणी के साथ विवरणी के आधार पर संदेय कर की संगणना दर्शाने वाला विवरण या संदत्त कर और ब्याज का सबूत या कोई दस्तावेज या किसी लेखा की प्रति या अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन धन कर के विवरण के साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन की रिपोर्ट का प्ररूप नहीं होगा ।

(5) आय कर महानिदेशक (प्रणाली) आंकड़ों का सुरक्षित प्रग्रहण और पारेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी दिए जाने से संबंधित समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी भी होगा ।”

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट में, प्ररूप खक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप खख	शुद्ध धन की विवरणी [धन कर नियम, 1957 का नियम 3(1)(ख)] (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	निर्धारण वर्ष	

भाग क जीईएन साधारण

व्यक्तिगत जानकारी	नाम (व्यक्ति के लिए अंतिम नाम/उपनाम, पहला नाम, मध्य नाम, अन्तिम नाम लिखें)		स्थायी लेखा सं०	
	फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	प्राप्ति (चिह्नित करें) ☒	
			☐ व्यक्ति ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब ☐ कंपनी	
	सड़क/गली/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	जन्म/निगमन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) (व्यक्ति की दशा में) / /	
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड	लिंग (व्यक्ति की दशा में) (चिह्नित करें) ☒
			☐ पुरुष ☐ महिला	
एस०टी०डी० कोड सहित फोन नं०		मोबाइल नं०		आय-कर वार्ड/ सर्किल
ई मेल पता		क्या भारतीय निवासी हैं (सही का निशान लगाएं) ☒		
		☐ हां ☐ नहीं		
फाइल करने की प्राप्ति	विवरणी फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं० 7 देखिए] ☐ नियत तारीख से पूर्व -14(1) ☐ नियत तारीख के पश्चात् -15 ☐ पुनरीक्षित विवरणी - 15 या सूचना के उत्तर में ☐ 16(4)(i) ☐ 17 (1)			
	यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)		मूल्यांकन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	
	क्या यह आपकी पहली विवरणी है ? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं			
	आवासीय प्राप्ति (चिह्नित करें) ☒ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किन्तु साधारण तौर पर निवासी नहीं			
	क्या यह विवरणी अध्याय 5 में निर्दिष्ट विशेष दशा में किसी व्यक्ति द्वारा फाइल की जा रही है ? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं			
	यदि हां तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -			
(क)	व्यक्ति का नाम			
(ख)	व्यक्ति का पता			

*सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी हर तरह से सही और पूर्ण है । इस विवरणी में मिथ्या कथन करने वाला कोई भी व्यक्ति धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 35घ के अधीन अभियोजन के दायित्वाधीन होगा और दोषसिद्ध होने पर :

(i) उस दशा में, जब ईप्सित कर वंचन एक लाख रुपए से अधिक है, तो ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

अनुसूची आईपी		स्थावर संपत्ति [धारा 2(डक)(i) या धारा 2 (डक)(v)]		
क्र.सं.	विवरण	स्थावर संपत्ति 1 (i)	स्थावर संपत्ति 2 (ii)	स्थावर संपत्ति 3 (iii)
1	विवरण			
2	पूरा पता			
3	भूमि का सर्वे/प्लॉट सं०			
4	अनुसूची 3 के अनुसार मूल्य			
5	स्थावर संपत्ति से संबंधित देय ऋण			
6	शुद्ध रकम (4-5)			
7	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक का नाम			
8	मूल्यांकक की रजिस्ट्रीकरण संख्या			
9	मूल्यांकक द्वारा रिपोर्ट की तारीख			
10	सभी स्थावर संपत्तियों की संकलित शुद्ध रकम [6(i) + 6(ii) + 6(iii)]			

अनुसूची एमपी		जंगम संपत्ति [धारा 2(डक)(iii) में निर्दिष्ट आभूषण, आदि से भिन्न]		
क्र.सं.	विवरण	मोटर कार [धारा 2(डक)(ii)] (ए)	नौका, आदि [धारा 2(डक)(iv)] (बी)	नकदी [धारा 2(डक)(vi)] (सी)
1	अनुसूची 3 के अनुसार मूल्य			
2	आस्ति से संबंधित देय ऋण			
3	शुद्ध रकम (1-2)			
4	सभी जंगम संपत्तियों की संकलित शुद्ध रकम [3(ए) + 3(बी) + 3(सी)]			

अनुसूची जेई		जंगम संपत्ति [धारा 2(डक)(iii) में निर्दिष्ट आभूषण, आदि]		
क्र.सं.	विवरण	आभूषण आदि की मद (ए)	आभूषण आदि की मद (बी)	आभूषण आदि की मद (सी)
1	मद का विवरण			
2	सकल भार			
3	बहुमूल्य धातु का शुद्ध भार			
4	बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्नों का विवरण और भार			
5	प्रत्येक बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्न का मूल्य और ऐसे सभी रत्नों का कुल मूल्य			
6	अनुसूची 3 के अनुसार आभूषण का कुल मूल्य			
7	आभूषण से संबंधित देय ऋण			
8	शुद्ध रकम (6-7)			
9	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक का नाम			
10	मूल्यांकक की रजिस्ट्रीकरण संख्या			
11	मूल्यांकक द्वारा रिपोर्ट की तारीख			
12	सभी आभूषण आदि की संकलित शुद्ध रकम [8(i) +8 (ii) +8 (iii)]			

(क)	क्र०सं.	व्यक्ति का नाम (क)	संबंध (ख)	अन्य व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक (ग)	सभी आस्तियों का संकलित मूल्य (घ)	ऐसी आस्तियों के संबंध में देय ऋण (ङ)	शुद्ध रकम [(घ)-(ङ)]
(ख)	व्यक्ति का कुल शुद्ध धन						

अनुसूची आईएफए				किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम (एओपी) का, भागीदार या उसके सदस्य के रूप में आस्तियों में धारित हित :					
(क)	क्र.सं.	फर्म/फर्मों/एओपी के नाम (क)	फर्म/फर्मों/एओपी का पता (ख)	फर्म/फर्मों/एओपी का स्थायी लेखा संख्यांक (ग)	अन्य भागीदारों/सदस्यों के नाम (घ)	निर्धारिती की लाभ हिस्सेदारी का अनुपात (%) (ङ)	अनुसूची 3 के अनुसार फर्म/एओपी की आस्तियों में निर्धारिती के हित का मूल्य (घ)	ऐसे हित के संबंध में देय ऋण (ङ)	शुद्ध रकम [(घ)-(ङ)]
(ख)	किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम (एओपी) का, भागीदार या उसके सदस्य के रूप में आस्तियों में धारित कुल हित								

अनुसूची एसीई			धारा 2(डक) में निर्दिष्ट वे आस्तियां जिनका धारा 5 के अधीन छूट के रूप में दावा किया गया है	
क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	मूल्य	ऐसी आस्तियों के संबंध में देय ऋण	छूट का दावा करने का कारण

अनुसूची ओपीआर			अन्य संपत्तियां (टिप्पण 1 देखिए) (केवल व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुंब द्वारा भरे जाने के लिए)	
	संपत्तियां			लागत
क	स्थावर संपत्ति			
	I	कृषि भूमि		
		(क)	विवरण	
		(ख)	पूरा पता	
		(ग)	भूमि का सर्वे/प्लॉट सं०	
	II	गैर कृषि भूमि		
		(क)	विवरण	
		(ख)	पूरा पता	
		(ग)	भूमि का सर्वे/प्लॉट सं०	
	III	वाणिज्यिक भवन		
		(क)	विवरण	
		(ख)	पूरा पता	
		(ग)	भूमि का सर्वे/प्लॉट सं०	
	IV	आवासीय भवन		
		(क)	विवरण	

		(ख)	पूरा पता		
		(ग)	भूमि का सर्वे/प्लॉट सं०		
ख	जंगम संपत्ति				
	I	वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और कोआपरेटिव सोसाइटियों सहित बैंक खातों (एफडीआर, सावधि जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा, जिसके अंतर्गत बचत खाते भी हैं) में जमा कुल रकम ।			
	II	बांड, डिबेंचर/शेयर और कंपनियों में यूनिट/म्युचुअल फंड में विनिधान की रकम ।			
	III	एनएसएस, डाक बचत, बीमा पोलिसियों में विनिधान और डाकघर या बीमा कंपनी में किसी वित्तीय लिखत में विनिधान की रकम ।			
	IV	ऋणों/ किसी व्यक्ति या अस्तित्व, जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियों की कुल रकम			
	V	कोई अन्य संपत्ति जिसके अंतर्गत दावों/ब्याज आदि का मूल्य भी है ।			
अन्य संपत्तियों की लागत पर कुल मूल्य					
अन्य संपत्तियों के संबंध में कुल दायित्व					
अन्य संपत्तियों की शुद्ध रकम					

टिप्पण- 1. ओपीआर : (i) धारा 2(डक) में निर्दिष्ट आस्तियां और धन कर के दायित्वाधीन ; (ii) धारा 5 के अधीन छूट के रूप में दावा की गई आस्तियां ; (iii) धारा 6 के अधीन अपवर्जित आस्तियां ; या (iv) कारबार या वृत्ति का भाग होने के कारण आस्तियां जो आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के अध्वधीन हैं, से भिन्न सभी संपत्तियां ।”

[अधिसूचना सं.32/2014 फा.सं. 143/1/2014-टीपीएल]

(जे. सरवनन)
अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3384(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन का.आ. सं 470 .(अ) तारीख 13/02/2009 द्वारा किया गया ।